फाईल सं. 9(8)/2014-आईएल(आईपी)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

...

प्रेस नोट सं. 9 (2014 श्रृंखला)

औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना

1. औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाना

व्यवसाय को सरल बनाने के उपाय के तौर पर अब से औद्योगिक लाईसेंस की तीन वर्ष की प्रारंभिक वैधता में प्रत्येक दो-दो वर्ष के दो विस्तार सहित सात वर्ष तक की मंजूरी दी जाएगी। यह दिनांक 02.07.2014 के प्रेस नोट सं. 5 (2014 श्रृंखला) के अधिक्रमण में है।

2. औद्योगिक लाइसेंस में वार्षिक क्षमता की आवश्यक शर्त को हटाना

औद्योगिक लाइसेंस के लिए रक्षा मदों हेतु वार्षिक क्षमता को नियंत्रणमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तथापि लाइसेंसधारी पृथक रूप से अधिसूचित किए जाने के लिए एक निर्धारित प्रारूप में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को छमाही रक्षा उत्पादन विवरणी भेजेगा।

3. रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सरकारी कंपनियों को रक्षा मदों की बिक्री

लाइसेंसधारी को रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी) के पूर्व अनुमोदन के बिना गृह मंत्रालय (एमएचए) के नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य वैध रक्षा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को रक्षा मदों को बेचने की अनुमति होगी। तथापि किसी अन्य कंपनी को इन मदों को बेचने के लिए लाइसेंसधारी को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(शुभा सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

डीआईपीपी फाईल सं. 9(8)/2014-आईएल (आईपी) दिनांक 20 अक्तूबर, 2014

1. प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो को आवश्यक प्रचार के लिए।
2. एनआईसी, डीआईपीपी को इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस नोट को डीआईपीपी की वेबसाइट पर डाल दें।